CGDA010005672024

विशेष (एन०डी०पी०एस० एक्ट) प्र०क्र०−18/2024
छ०ग० राज्य विरूद्ध प्रकाश विश्वास

<u>फार्म−डी</u>

न्यायालयः−विशेष न्यायाधीश (एन०डी०पी०एस०एक्ट) **दक्षिण बस्तर दंतेवाडा (छ०ग०)** (पीठासीन अधिकारीः−धीरेन्द्र प्रताप सिंह दाँगी)
निर्णय दिनांकः−11/08/2026
विशेष (एन०डी०पी०एस० एक्ट) प्र०क्र०−18/2024 **सी०एन०आर०:−CGDA010005672024** **थानाः−गीदम, जिला−द०ब० दंतेवाड़ा, अपराध क्रमांकः−75/2024** **संस्थित दिनांकः−24/08/2024**

अभियोजन	छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा आरक्षी केंद्रः−गीदम जिलाः−द०ब० दंतेवाड़ा (छ०ग०)
अभियोजन द्वारा	श्रीमती नीलिमा वर्मा, विशेष लोक अभियोजक
अभियुक्त	प्रकाश विश्वास पिता काशीनाथ विश्वास, आयु−45 वर्ष, निवासी−ग्राम नेलसनार, थाना−बांगापाल, जिला−बीजापुर, मूल निवासी−एम०व्ही०−9, मलकानगिरी, जिला−मलकानगिरी (उड़ीसा)**(अभियुक्त क्र०−01)**
अभियुक्त द्वारा	श्री एन०के० साहू अधिवक्ता **(अभियुक्त क्र०−01)**

<u>फार्म−ई</u>

घटना दिनांक	28/06/2024
प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक	28/06/2024
अभियोग पत्र प्रस्तुति दिनांक	24/08/2024
आरोप विरचित दिनांक	17/09/2024
साक्ष्य प्रारंभ दिनांक	12/11/2024
निर्णय हेतु सुरक्षित रखे जाने की तिथि	06/08/2026
निर्णय दिनांक	11/08/2026
दण्डादेश दिनांक यदि हो तो	11/08/2026

CGDA010005672024

विशेष (एन०डी०पी०एस० एक्ट) प्र०क्र०–18/2024
छ०ग० राज्य विरूद्ध प्रकाश विश्वास

अभियुक्त का विवरण

क्रं०	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी दिनांक	जमानत पर रिहा किये जाने की तिथि	आरोप	दोषमुक्ति अथवा दोषसिद्धि	दण्डादेश	धारा 468 भा०ना०सु०सं० के प्रयोजन हेतु अभिरक्षा
01	**प्रकाश विश्वास**	28/06/2024	गिरफ्तारी दिनांक से निर्णय दिनांक तक निरन्तर अभिरक्षा में निरूद्ध	धारा 20(b)(ii)(B) स्वापक औषधि तथा मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985	**दोषसिद्ध**	निर्णय की कंडिका 54 अनुसार	**773 दिवस**

फार्म–एफ

अनुक्रमणिका

क्रं०	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1	निर्णय का शीर्षक	1
2	अधिवक्ता की उपस्थिति	1
3	आरोप	7
4	स्वीकृत तथ्य	7
5	अभियोजन कहानी	7-10
6	परीक्षित साक्षियों की सूची	3
7	प्रदर्शित दस्तावेजों की सूची	3-6
8	भौतिक वस्तुओं/मुद्दामाल की सूची	6
9	सकारण निष्कर्ष	14-42
10	दण्डादेश	45

CGDA010005672024

विशेष (एन०डी०पी०एस० एक्ट) प्र०क्र०–18/2024
छ०ग० राज्य विरूद्ध प्रकाश विश्वास

11	अभिरक्षा अवधि	47
12	संपत्ति का निराकरण	45
13	प्रतिकर का आदेश	--
14	धारा 428 दं०प्र०सं० का प्रमाण पत्र	47
15	सजा वारंट की प्रति	2
16	निर्णय की प्रति	4

<u>परीक्षित साक्षियों की सूची</u>

अभियोजन–

अभियोजन साक्षी क्रमांक	**साक्षी का नाम**	**विवरण**
अ०सा०–01	रोहित कुर्रे	हमराह स्टाफ साक्षी
अ०सा०–02	संजय दीवान	हमराह स्टाफ साक्षी
अ०सा०–03	कैलाश नाग	हमराह स्टाफ साक्षी
अ०सा०–04	सुरेन्द्र कश्यप	जप्ती साक्षी
अ०सा०–05	युवराज उईके	जप्ती साक्षी
अ०सा०–06	पंकज धर	विवेचक साक्षी
अ०सा०–07	संतोष यादव	हमराह स्टाफ/कायमीकर्ता साक्षी
अ०सा०–08	राजकुमार सिंह	मालखाना प्रभारी साक्षी
अ०सा०–09	हरिराम यादव	माल जमाकर्ता साक्षी

बचाव–

बचाव साक्षी क्रमांक	**साक्षी का नाम**	**विवरण**
	निरंक	

<u>प्रदर्शित दस्तावेजों की सूची</u>

अभियोजन–

प्रदर्श क्रमांक	**प्रदर्श का विवरण**	**किसके द्वारा प्रमाणित/अनुप्रमाणित**

CGDA010005672024

विशेष (एन०डी०पी०एस० एक्ट) प्र०क्र०–18/2024
छ०ग० राज्य विरूद्ध प्रकाश विश्वास

प्र०पी०–01	स्टाफ, गवाह एवं वाहन की तलाशी पंचनामा अंतर्गत धारा 100 दं०प्र०सं०	अ०सा०–01
प्र०पी०–02	साक्षी सुरेन्द्र कश्यप का वचन पत्र	अ०सा०–04
प्र०पी०–03	वारंट प्राप्त न कर सकने का पंचनामा	अ०सा०–04
प्र०पी०–04	मुखबिर सूचना पंचनामा	अ०सा०–04
प्र०पी०–05	मुखबिर सूचना तस्दीक पंचनामा	अ०सा०–04
प्र०पी०–06	सहमति बाबत नोटिस (संदेही)	अ०सा०–04
प्र०पी०–07	तलाशी बाबत संदेही को नोटिस पंचनामा अंतर्गत धारा 50 एन०डी०पी०एस० एक्ट	अ०सा०–04
प्र०पी०–08	तलाशी पंचनामा	अ०सा०–04
प्र०पी०–09	बरामदगी पंचनामा	अ०सा०–04
प्र०पी०–10	मादक द्रव्य पहचान पंचनामा	अ०सा०–04
प्र०पी०–11	प्रदर्श अंकन पंचनामा	अ०सा०–04
प्र०पी०–12	तराजू का भौतिक सत्यापन पंचनामा	अ०सा०–04
प्र०पी०–13	तौल पंचनामा	अ०सा०–04
प्र०पी०–14	जप्ती पत्रक	अ०सा०–04
प्र०पी०–15	नमूना सील पंचनामा	अ०सा०–04
प्र०पी०–16	गिरफ्तारी पत्रक	अ०सा०–04
प्र०पी०–17	गिरफ्तारी की सूचना	अ०सा०–04
प्र०पी०–18	गिरफ्तारी के कारण बताने का पंचनामा	अ०सा०–04
प्र०पी०–19	मेमोरेण्डम कथन	अ०सा०–04
प्र०पी०–20	साक्षी सुरेन्द्र कश्यप का पुलिस कथन	अ०सा०–04
प्र०पी०–21	साक्षी युवराज उईके का वचन पत्र	अ०सा०–05
प्र०पी०–22	साक्षी युवराज उईके का पुलिस कथन	अ०सा०–05
प्र०पी०–23	नोटिस अंतर्गत धारा 160 दं०प्र०सं०	अ०सा०–06
प्र०पी०–24	नोटिस अंतर्गत धारा 160 दं०प्र०सं०	अ०सा०–06
प्र०पी०–25	सूचना प्रतिवेदन	अ०सा०–06
प्र०पी०–26	नोटिस अंतर्गत धारा 50 एन०डी०पी०एस० एक्ट	अ०सा०–06

CGDA010005672024

विशेष (एन०डी०पी०एस० एक्ट) प्र०क्र०–18/2024
छ०ग० राज्य विरूद्ध प्रकाश विश्वास

प्र०पी०–27	नोटिस अंतर्गत धारा 67 एन०डी०पी०एस० एक्ट	अ०सा०–06
प्र०पी०–28	गिरफ्तारी की सूचना	अ०सा०–06
प्र०पी०–29	अभियुक्त की गिरफ्तारी के आधारों की सूचना अंतर्गत धारा 20 दं०प्र०सं०	अ०सा०–06
प्र०पी०–30	नजरी नक्शा	अ०सा०–06
प्र०पी०–31	देहाती नालसी	अ०सा०–06
प्र०पी०–32	प्रथम सूचना रिपोर्ट	अ०सा०–06
प्र०पी०–33	जप्त सामग्री की सूची	अ०सा०–06
प्र०पी०–34	जप्त सामग्री की सूची	अ०सा०–06
प्र०पी०–35	इन्वेंट्री कार्यवाही आदेश पत्रिका	अ०सा०–06
प्र०पी०–36	इन्वेंट्री कार्यवाही आदेश पत्रिका	अ०सा०–06
प्र०पी०–37	नजरी नक्शा प्रदाय करने हेतु तहसीलदार गीदम को प्रेषित पत्र	अ०सा०–06
प्र०पी०–38	पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा द्वारा रासायनिक परीक्षण कराये जाने हेतु क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला जगदलपुर को प्रेषित ज्ञापन	अ०सा०–06
प्र०पी०–39	प्रदर्श प्राप्ति रसीद	अ०सा०–06
प्र०पी०–40	प्रदर्श परीक्षण रिपोर्ट	अ०सा०–06
प्र०पी०–41	रोजनामचा सान्हा क्र० 39	अ०सा०–06
प्र०पी०–41 सी	रोजनामचा सान्हा क्र० 39 की सत्यप्रतिलिपि	अ०सा०–06
प्र०पी०–42	रोजनामचा सान्हा क्र० 41	अ०सा०–06
प्र०पी०–42 सी	रोजनामचा सान्हा क्र० 41 की सत्यप्रतिलिपि	अ०सा०–06
प्र०पी०–43	रोजनामचा सान्हा क्र० 42	अ०सा०–06
प्र०पी०–43 सी	रोजनामचा सान्हा क्र० 42 की सत्यप्रतिलिपि	अ०सा०–06
प्र०पी०–44	रोजनामचा सान्हा क्र० 43	अ०सा०–06

CGDA010005672024

विशेष (एन०डी०पी०एस० एक्ट) प्र०क्र०–18/2024
छ०ग० राज्य विरूद्ध प्रकाश विश्वास

प्र०पी०–44 सी	रोजनामचा सान्हा क्र० 43 सी की सत्यप्रतिलिपि	अ०सा०–06
प्र०पी०–45	रोजनामचा सान्हा क्र० 44	अ०सा०–06
प्र०पी०–45 सी	रोजनामचा सान्हा क्र० 44 की सत्यप्रतिलिपि	अ०सा०–06
प्र०पी०–46	रोजनामचा सान्हा	अ०सा०–06
प्र०पी०–46 सी	रोजनामचा सान्हा की सत्यप्रतिलिपि	अ०सा०–06
प्र०पी०–47	रोजनामचा सान्हा क्र० 51	अ०सा०–06
प्र०पी०–47 सी	रोजनामचा सान्हा क्र० 51 की सत्यप्रतिलिपि	अ०सा०–06
प्र०पी०–48	मूल जप्त माल रजिस्टर	अ०सा०–08
प्र०पी०–48 सी	मूल जप्त माल रजिस्टर की सत्यप्रतिलिपि	अ०सा०–08

बचाव–

प्रदर्श क्रमांक	**प्रदर्श का विवरण**	**किसके द्वारा प्रमाणित/अनुप्रमाणित**
निरंक		

भौतिक वस्तुओं/मुद्दामाल की सूची

अभियोजन–

भौतिक वस्तु (M.O.) क्रमांक	**प्रदर्श का विवरण**	**किसके द्वारा प्रमाणित/अनुप्रमाणित**
आर्टिकल ए–01	इन्वेंट्री कार्यवाही की फोटोग्राफी	अ०सा–06
आर्टिकल ए–02	इन्वेंट्री कार्यवाही की फोटोग्राफी	अ०सा–06
आर्टिकल ए–03	इन्वेंट्री कार्यवाही की फोटोग्राफी	अ०सा–06
आर्टिकल ए–04	इन्वेंट्री कार्यवाही की फोटोग्राफी	अ०सा–06
आर्टिकल ए–05	इन्वेंट्री कार्यवाही की फोटोग्राफी	अ०सा–06

बचाव–

भौतिक वस्तु (M.O.) क्रमांक	**प्रदर्श का विवरण**	**किसके द्वारा प्रमाणित/अनुप्रमाणित**
निरंक		

CGDA010005672024

विशेष (एन०डी०पी०एस० एक्ट) प्र०क्र०–18/2024
छ०ग० राज्य विरूद्ध प्रकाश विश्वास

01) अभियुक्त के विरूद्ध **धारा 20(b)(ii)(B) स्वापक औषधि तथा मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 (जिसे अत्र पश्चात एन०डी०पी०एस० एक्ट के नाम से संबोधित किया जा रहा है)** के तहत आरोप है कि उसने दिनांक 28/06/2024 को समय 21:30 बजे, थाना गीदम क्षेत्र के अंतर्गत स्थान बारसूर चौक मंडी के पास मेनरोड गीदम में वाहन मोटरसायकल क्र० ओ०डी०–30/बी०–2997 में कुल 7.500 कि०ग्रा० मादक पदार्थ गांजा को बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के अपने आधिपत्य में रखकर केन्द्र शासन की अधिसूचना का उल्लंघन किया है।

02) प्रकरण में महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य कुछ नहीं है।

03) <u>अभियोजन कथानक संक्षिप्त में इस प्रकार है कि–</u>

3.1) प्रार्थी/विवेचक पंकज धर सहायक उप निरीक्षक के पद पर थाना गीदम में पदस्थ था। दिनांक 28/06/2024 को समय लगभग 16:20 बजे मोबाईल के माध्यम से मुखबिर सूचना प्राप्त हुयी कि एक व्यक्ति काले रंग का हीरो डिलक्स मोटरसायकल क्रं० ओ०डी०–30/बी०–2997 में एक सफेद रंग की बोरी में भारी मात्रा में मादक पदार्थ गांजा लेकर बीजापुर रोड से गीदम की ओर जा रहा है। उक्त मुखबिर से थाना प्रभारी को अवगत कराने पर तत्काल अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) बारसूर को मोबाईल फोन के माध्यम से अवगत कराया गया। अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) बारसूर द्वारा उचित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किये जाने पर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्राप्त सूचना को रोजनामचा में दर्ज किया गया। अपराध की सूचना प्राप्त होने का सूचना प्रतिवेदन तैयार कर आ०क्र० 890 संजय दीवान को दो साक्षी आहूत करने हेतु रवाना किया गया। आ०क्र० 890 संजय दीवान द्वारा दो स्वतंत्र साक्षी सुरेन्द्र कश्यप, युवराज उईके को

लेकर थाना उपस्थित होने पर साक्षियों को मुखबिर सूचना से अतगत कराकर कार्यवाही में उपस्थित रहने हेतु अंतर्गत धारा 160 दं०प्र०सं० का नोटिस देकर बतौर साक्षी उपस्थित रहने हेतु सहमति प्राप्त की गयी। साक्षियों के समक्ष मुखबिर सूचना पंचनामा तैयार किया गया।

3.2) धारा 41 एन०डी०पी०एस० एक्ट के तहत तलाशी वारंट प्राप्त करने की कार्यवाही किये जाने पर संदेही के फरार होने तथा साक्ष्य नष्ट करने की आशंका एवं समयाभाव में तलाशी वारंट न कर सकने का पंचनामा तैयार किया गया। आर० क्रं० 687 हरि यादव को अपराध की सूचना प्राप्त होने का सूचना प्रतिवेदन, वारंट प्राप्त न कर सकने का पंचनामा, मुखबिर सूचना पंचनामा को लिफाफा में देकर कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) बारसूर रवाना किया गया। हमराह स्टाफ स०उ०नि० संतोष यादव, प्र०आर०क्र० 378 रोहित कुर्रे, आर०क्र० 621, आर०क्र० 890, वाहन चालक उत्तम ध्रुव तथा साक्षी सुरेन्द्र कश्यप, युवराज उईके सहित मय विवेचना किट लेपटाप, प्रिंटर, मोबाईल प्रिंटर, इलेक्ट्रानिक तराजू व अन्य विवेचना सामग्रियों सहित अधिग्रहित बोलेरो वाहन क्र० सी०जी०–18/क्यू०–1539 में मुखबिर सूचना तस्दीक कार्यवाही हेतु रवाना होकर बारसूर चौक मंडी के पास मेनरोड गीदम के पास नाकाबंदी कर आने–जाने वाले वाहनो की चेकिंग करने लगे। कुछ समय पश्चात उक्त एक काले रंग की हीरो डिलक्स मोटरसायकल आया, जिसे रोककर तस्दीक किया गया। मुखबिर के बताये अनुसार उक्त वाहन में एक व्यक्ति सवार था। संदेही से पूछताछ करने पर चालक ने अपना नाम प्रकाश विश्वास होना बताया।

3.3) मुखबिर के बताये अनुसार उक्त अभियुक्त के पास अवैध मादक पदार्थ गांजा रखे होने की प्रबल संभावना होने से उसे तलाशी हेतु धारा 50 एन०डी०पी०एस० एक्ट के तहत

नोटिस देकर उसे उसके अधिकारों को साक्षियों के समक्ष अवगत कराया गया। धारा 50 एन०डी०पी०एस० एक्ट का नोटिस प्रदाय कर अपने सामान की तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट से कराने के विकल्प से अवगत कराया गया। अभियुक्त द्वारा सहा०उ०निरी० पंकज धर से अपने सामान की तलाशी कराने की सहमति दिया गया। तलाशी एवं तस्दीकी कार्यवाही के क्रम में सर्वप्रथम अभियुक्त से स्वयं, स्टाफ, साक्षियों व साथ लाये वाहन की तलाशी कराई गयी। पुलिस स्टाफ एवं साक्षियों की तलाशी में कोई आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुआ। उसके पश्चात अभियुक्त के शरीर पर पहने कपड़ा एवं वाहन में रखे सफेद रंग की बोरी की तलाशी ली गयी। तलाशी में उसके कब्जे की काले रंग की डीलक्स मोटरसायकल में रखे सफेद रंग की बोरी में 04 पैकेट मटमैला रंग के सेलो टेप से लिपटा हुआ हरा रंग की सूखी घास व बीजयुक्त मादक पदार्थ गांजा जैसा पदार्थ मिला। उक्त बरामद पदार्थ को सूंघकर, चखकर, जलाकर देखने पर गांजा जैसा होना पाया गया, जिसका पहचान पंचनामा तैयार किया गया। अभियुक्त को नोटिस अंतर्गत धारा 67 एन०डी०पी०एस० एक्ट देकर उसके कब्जे से बरामद गांजा जैसा मादक पदार्थ को अपने साथ रखने, परिवहन करने के संबंध में वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। अभियुक्त द्वारा मादक पदार्थ गांजा के संबंध में किसी प्रकार का दस्तावेज नहीं होना बताया। अभियुक्त के कब्जे से प्राप्त मादक पदार्थ गांजा के कुल 04 पैकेट को प्रदर्श ए, बी, सी, डी, से चिन्हांकित किया गया तथा प्रदर्श अंकित पंचनामा तैयार किया गया।

3.4) तौल कार्यवाही हेतु साथ लाये इलेक्ट्रानिक तराजू का आ०क्र० 621 कैलाश नाग द्वारा अलग–अलग भार वाले वस्तु एवं 100 ग्राम के बांट को रखकर इलेक्ट्रानिक तौल मशीन का भौतिक सत्यापन करने पर पंचनामा तैयार किया गया। अभियुक्त से बरामद 04 पैकेट की तौल

कार्यवाही की गई, जिस पर कुल वजन 7.500 कि०ग्रा० होना पाया गया। तौल कार्यवाही के संबंध में तौल पंचनामा तैयार किया गया। उसके पश्चात सभी प्रदर्शों को यथावत सफेद बोरी में भरकर सीलबंद कर नमूना सील पंचनामा तैयार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से बरामद 04 पैकेट मादक पदार्थ गांजा, नगदी राशि 540/– रूपये, मोटरसायकल को जप्त किया गया। अभियुक्त का मेमोरेण्डम कथन लेखबद्ध किया गया। मौके पर देहाती नालसी दर्ज कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया। अभियुक्त को विधिवत गिरफ्तार किया गया। विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। जप्तशुदा मादक पदार्थ की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दंतेवाड़ा के समक्ष इन्वेंट्री कार्यवाही करायी गयी। इन्वेंट्री कार्यवाही के दौरान निकाले गये 100–100 ग्राम के सैम्पल में से एक सैम्पल को थाना में माल मुंशी को सुपुर्द किया गया तथा एक सैम्पल को रासायनिक परीक्षण हेतु क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला जगदलपुर भेज कर परीक्षण कराया गया। परीक्षण रिपोर्ट में सैम्पल में मादक पदार्थ गांजा होना पाया गया। घटनास्थल का नजरी नक्शा तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र क्रं० 66/2024 तैयार कर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

04) अभियुक्त के विरूद्ध **धारा 20(b)(ii)(B) एन०डी०पी०एस० एक्ट** के अंतर्गत आरोप विरचित कर उसे पढ़कर सुनाये व समझाए जाने पर उसने आरोपित अपराध किया जाना अस्वीकार किया तथा विचारण किये जाने का निवेदन किया।

05) अभियोजन द्वारा अपने मामले को प्रमाणित किये जाने हेतु कुल 09 साक्षियों का साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। धारा 351 भा०ना०सु०सं० के अंतर्गत अभियुक्त का परीक्षण किये जाने पर उसने स्वयं को निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया है। अभियुक्त द्वारा अपने बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जाना व्यक्त किया है।

06) इस प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होते हैं –

01– "क्या अभियुक्त ने दिनांक 28/06/2024 को समय 21:30 बजे, थाना गीदम क्षेत्र के अंतर्गत स्थान बारसूर चौक मंडी के पास मेनरोड गीदम में वाहन मोटरसायकल क्र० ओ०डी०–30/बी०–2997 में कुल 7.500 कि०ग्रा० मादक पदार्थ गांजा को बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के अपने आधिपत्य में रखकर केन्द्र शासन की अधिसूचना का उल्लंघन किया है ? "

07) अभियोजन की ओर से तर्क प्रस्तुत किया है कि अभियुक्त द्वारा अपने आधिपत्य में विक्रय हेतु अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा रखा गया है। अभियुक्त के आधिपत्य से 7 किलो 500 ग्राम मादक पदार्थ गांजा बरामद कर जप्त किया गया है। विवेचक द्वारा की गयी संपूर्ण कार्यवाही एन०डी०पी०एस० एक्ट के आज्ञापक एवं निर्देशात्मक प्रावधानों के अनुरुप होने के कारण पुलिस साक्षियों के कथनों पर अविश्वास किये जाने का कारण नहीं है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाकर दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया।

08) अभियुक्त की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रकरण के स्वतंत्र जप्ती साक्षियों द्वारा कार्यवाही का समर्थन नहीं किया गया है। प्रकरण के विवेचक पंकज धर ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उनके द्वारा मुखबिर सूचना प्राप्त होने के पश्चात तत्काल मुखबिर सूचना पंचनामा साक्षियों के समक्ष तैयार नहीं किया था, स्वतंत्र साक्षियों को कार्यवाही में सहयोग देने हेतु हमराह स्टाफ को कर्तव्य प्रमाण पत्र देकर रवाना नहीं किया था तथा साक्षियों से स्वीकृति लिये जाने के समय का उल्लेख प्र०पी०–02, प्र०पी०–21 में नहीं है। इस प्रकार विवेचक द्वारा मुखबिर सूचना के आधार पर कार्यवाही किया जाना संदेहपूर्ण प्रतीत होता है। विवेचक ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि एस०डी०ओ०पी० बारसूर को प्र०पी०–25 के साथ मुखबिर सूचना पंचनामा

की प्रति प्रेषित नहीं की है तथा एस०डी०ओ०पी० बारसूर को प्रेषित ज्ञापन प्र०पी०–25 में सफेदा लगाकर सुधार किया गया है। विवेचक ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने प्र०पी०–04 एवं प्र०पी०–25 की कार्यवाही एक ही समय 17:15 बजे की है। इस प्रकार विवेचक द्वारा एस०डी०ओ०पी० बारसूर को मुखबिर सूचना प्रेषित किये जाने के संबंध में धारा 42 एन०डी०पी०एस० एक्ट के आज्ञापक प्रावधान का अनुपालन नहीं किया गया है। विवेचक ने यह भी स्वीकार किया है कि मौके पर कोई भी राजपत्रित अधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट उपस्थित नहीं थे तथा एस०डी०ओ०पी० बारसूर द्वारा कार्यवाही हेतु कोई लिखित आदेश नहीं दिया गया था। इस प्रकार विवेचक द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति के बिना समस्त कार्यवाही किये जाने के कारण उनके द्वारा की गयी कार्यवाही विश्वसनीय नहीं है।

09) अभियुक्त की ओर से आगे तर्क किया गया है कि विवेचक ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि अभियुक्त द्वारा स्वयं की तलाशी लिये जाने की लिखित सहमति नहीं दी गयी थी। विवेचक ने स्पष्ट करते हुये बताया है कि अभियुक्त को हिन्दी लिखना पढ़ना नहीं आता था। इस प्रकार अभियुक्त द्वारा विवेचक से तलाशी कराये जाने की सहमति नहीं दी गयी है। अतः धारा 50 एन०डी०पी०एस० एक्ट के आज्ञापक प्रावधान का अनुपालन न किया जाना दर्शित है। विवेचक ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि कथित बरामद पदार्थ की तौल कार्यवाही किसी व्यवसायी से न कराकर पुलिस आरक्षक कैलाश नाथ से कराई गयी है। इस प्रकार तौल कार्यवाही स्वतंत्र साक्षी से न कराये जाने के कारण तौल कार्यवाही विश्वसनीय नहीं है। कथित बरामद पदार्थ को थाना के मालखाना में जमा कराये जाने के संबंध में मालखाना मुंशी से पावती नहीं ली गयी है, इस कारण कथित बरामद पदार्थ को मालखाना में जमा कराया जाना संदेहपूर्ण है। विवेचक ने प्रतिपरीक्षण में

CGDA010005672024

स्वीकार किया है कि जप्तशुदा मोटरसायकल के स्वामित्व के संबंध में कोई भी जानकारी नहीं ली गयी है। इस प्रकार कथित मोटरसायकल अभियुक्त के स्वामित्व में होने के संबंध में कोई दस्तावेज अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है।

10) अभियुक्त की ओर से आगे तर्क किया गया है कि हमराह स्टाफ साक्षी संतोष यादव ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि हमराह स्टाफ साक्षी मौके पर नहीं गये थे। इस प्रकार हमराह स्टाफ साक्षियों की मौके पर उपस्थिति प्रमाणित नहीं है। उक्त साक्षी ने देहाती नालसी के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया जाना बताया है, किन्तु विवेचक पंकज धर से कथित बरामद पदार्थ एवं मोटरसायकल प्राप्त न किया जाना बताया है। इस प्रकार उक्त साक्षी द्वारा बिना बरामद सामग्री के प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी है, जो कि संदेहपूर्ण प्रतीत होती है। मालखाना प्रभारी साक्षी राजकुमार सिंह ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसके द्वारा प्राप्त पैकेटों को जमा करने के पूर्व स्वयं तौलकर नहीं देखा था और बरामद सामग्री को प्राप्त करने के संबंध में किसी प्रकार की पावती नहीं दी थी। मालखाना प्रभारी साक्षी ने अभियुक्त की पहचान से संबंधित दस्तावेज मालखाना में जमा न कराया जाना स्वीकार किया है। इस प्रकार कथित बरामद पदार्थ अभियुक्त के आधिपत्य से बरामद होना प्रमाणित नहीं है। मालखाना प्रभारी साक्षी ने उसका पुलिस कथन विवेचक द्वारा लिये जाने से इंकार किया है। इस प्रकार बरामद पदार्थ को थाना के मालखाना में जमा कराये जाने की पुष्टि नहीं होती है। विवेचक द्वारा एन०डी०पी०एस० एक्ट के आज्ञापक एवं निर्देशात्मक प्रावधानों का पालन न किया जाना दर्शित होता है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध से दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

CGDA010005672024

विशेष (एन०डी०पी०एस० एक्ट) प्र०क्र०–18/2024
छ०ग० राज्य विरूद्ध प्रकाश विश्वास

//साक्ष्य विवेचना तथा सकारण निष्कर्ष//

//विचारणीय प्रश्न क्रं० 01 के संबंध में साक्ष्य विवेचना//

11) अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य/तर्क एवं अभियुक्त द्वारा ली गयी प्रतिरक्षा/तर्क के आधार पर प्रकरण की विवेचना किया जाना है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत जप्ती के स्वतंत्र साक्षी सुरेन्द्र कश्यप अ०सा०–04 एवं युवराज उईके अ०सा०–05 ने अपने–अपने अभिकथन में बताया है कि वे अभियुक्त को नहीं पहचानते हैं । उनके समक्ष पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की थी। उनके द्वारा कार्यवाही में उपस्थित होने की सहमति नहीं दी गयी थी । वचन पत्र प्र०पी०–02 एवं प्र०पी०–21 पर उनके हस्ताक्षर है। वारंट प्राप्त न कर सकने का पंचनामा प्र०पी०–03 से मेमोरेण्डम कथन प्र०पी०–19 तक के दस्तावेजों पर उनके हस्ताक्षर है। सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षियों ने उनके समक्ष अभियुक्त प्रकाश विश्वास के आधिपत्य से सफेद रंग की बोरी में भरा 04 पैकेट मादक पदार्थ गांजा बरामद होने से इंकार किया है।

12) इस प्रकार प्रकरण के स्वतंत्र जप्ती साक्षियों द्वारा द्वारा अभियुक्त से मादक पदार्थ गांजा की जप्ती की कार्यवाही एवं तौल कार्यवाही का समर्थन नहीं किया गया है। अतः इस तथ्य पर विचार किया जाना है कि स्वतंत्र जप्ती साक्षियों द्वारा अभियोजन मामले का समर्थन न किये जाने पर विभागीय साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर मामले को प्रमाणित किया जा सकता है अथवा नहीं। उक्त संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***Nathusingh v. State of M.P.***, **(1974) 3 SCC 584** के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि–

2.... ... ...The mere fact that they are police officers was not enough to discard their evidence. No reason was shown for their hostility to the appellant.

13) इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***Anil v. State of Maharashtra,*** (1996) 2 SCC 589 के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि–

5. Indeed all the 5 prosecution witnesses who have been examined in support of search and seizure were members of the raiding party. They are all police officials. There is, however, no rule of law that the evidence of police officials has to be discarded or that it suffers from some inherent infirmity. Prudence, however, requires that the evidence of the police officials, who are interested in the outcome of the result of the case, needs to be carefully scrutinised and independently appreciated. The police officials do not suffer from any disability to give evidence and the mere fact that they are police officials does not by itself give rise to any doubt about their creditworthiness. We have carefully and critically analysed the evidence of all the 5 police officials. There is nothing on the record to show that any one of them was hostile to the appellant and despite lengthy cross–examination their evidence has remained unshaken throughout. These witnesses have deposed in clear terms the details of the trap that was laid to apprehend the appellant and the manner in which he was apprehended. Their evidence regarding search and seizure of the weapons from the appellant is straightforward, consistent and specific. It inspires confidence and learned counsel for the appellant has not been able to point out any serious, let alone fatal, infirmity in their evidence... ... ..

14) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***Rizwan Khan v. State of Chhattisgarh*, (2020) 9 SCC 627** के एन०डी०पी०एस०एक्ट के मामले में पुलिस साक्षियों के साक्ष्य की विवेचना करते हुए अभिनिर्धारित किया है कि–

> **12.** It is settled law that the testimony of the official witnesses cannot be rejected on the ground of non–corroboration by independent witness. As observed and held by this Court in catena of decisions, examination of independent witnesses is not an indispensable requirement and such non–examination is not necessarily fatal to the prosecution case [see *Pardeep Kumar* [*State of H.P.* v. *Pardeep Kumar*, (2018) 13 SCC 808]].
>
> **13.** In the recent decision in *Surinder Kumar* v. *State of Punjab* [*Surinder Kumar* v. *State of Punjab*, (2020) 2 SCC 563] , while considering somewhat similar submission of non–examination of independent witnesses, while dealing with the offence under the NDPS Act, in paras 15 and 16, this Court observed and held as under : (SCC p. 568)
>
> "*15*. The judgment in *Jarnail Singh* v. *State of Punjab* [*Jarnail Singh* v. *State of Punjab*, (2011) 3 SCC 521] , relied on by the counsel for the respondent State also supports the case of the prosecution. In the aforesaid judgment, this Court has held that merely because prosecution did not examine any independent witness, would not necessarily lead to conclusion that the accused was falsely implicated. The evidence of official witnesses cannot be distrusted and disbelieved, merely on account of their official status.

16. In State (NCT of Delhi) v. Sunil [State (NCT of Delhi) v. Sunil, (2001) 1 SCC 652] , it was held as under : (SCC p. 655)

'It is an archaic notion that actions of the police officer should be approached with initial distrust. It is time now to start placing at least initial trust on the actions and the documents made by the police. At any rate, the court cannot start with the presumption that the police records are untrustworthy. As a proposition of law, the presumption should be the other way around. That official acts of the police have been regularly performed is a wise principle of presumption and recognised even by the legislature.'"

15) अतः उपरोक्त न्यायदृष्टांतो के आलोक में यह स्पष्ट है कि केवल पुलिस विभाग के कर्मचारी होने के आधार पर ऐसे साक्षियों के साक्ष्य पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार स्वतंत्र साक्षियों द्वारा अभियोजन के मामले का समर्थन न किये जाने पर भी पुलिस साक्षियों के साक्ष्य पर विश्वास कर मामले में प्रमाणित किया जा सकता है। अतः बचाव पक्ष की यह आपत्ति अस्वीकार की जाती है कि स्वतंत्र साक्षियों द्वारा कार्यवाही का समर्थन न किये जाने के कारण कोई मामला प्रमाणित नहीं होता है।

16) विभागीय साक्षियों के साक्ष्य की विवेचना एन०डी०पी०एस० एक्ट के आज्ञापक एवं निर्देशात्मक प्रावधानों के परिपेक्ष्य में किया जाना आवश्यक है। एन०डी०पी०एस० एक्ट के अध्याय पांच में अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही करने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अतः पुलिस विभाग के साक्षियों की साक्ष्य की विवेचना इस आधार पर की जा रही है कि पुलिस विभाग

CGDA010005672024

विशेष (एन०डी०पी०एस० एक्ट) प्र०क्र०–18/2024
छ०ग० राज्य विरूद्ध प्रकाश विश्वास

के कर्मचारियों द्वारा एन०डी०पी०एस० एक्ट के आज्ञापक एवं निर्देशात्मक प्रावधानों के पालन में हस्तगत प्रकरण की कार्यवाही की गयी है अथवा नहीं।

17) प्रकरण की संपूर्ण कार्यवाही प्रार्थी/विवेचक पंकज धर अ०सा०–06 द्वारा की गयी है। प्रार्थी/विवेचक पंकज धर अ०सा०–06 ने अपने अभिकथन में बताया है कि वह वर्ष 2023 से वर्ष 2025 तक थाना गीदम में सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ था। अतः यह देखा जाना है कि एन०डी०पी०एस० एक्ट की धारा 41 (2) एवं 42 (1) के अंतर्गत पुलिस विभाग के सहायक उप निरीक्षक को कार्यवाही का अधिकार है अथवा नहीं। एन०डी०पी०एस० एक्ट की धारा 41 (2) एवं 42 (1) के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा सशक्त किये जाने पर पुलिस विभाग के अधिकारियों द्वारा एन०डी०पी०एस० एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकती है। राज्य सरकार द्वारा जारी Notification – F.No. B–6–35–V–SR–85–4801, Dated the 11th November, 1985 एवं Notification – F.No. B–6–35–V–SR–85–4804, Dated the 11th November, 1985 के अनुसार एन०डी०पी०एस० एक्ट की धारा 41 (2) एवं 42 के अंतर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु पुलिस विभाग के निम्नलिखित पदाधिकारियों को कथित उपधारा के प्रयोजनों के लिए उनके संबंधित क्षेत्राधिकार के क्षेत्र के अंदर प्राधिकृत किया गया है–

1. **आबकारी विभाग**

   ... ...

2. **पुलिस विभाग**

   (I) पुलिस अधीक्षक/अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक

   (ii) उप पुलिस अधीक्षक

   (iii) सहायक पुलिस अधीक्षक

CGDA010005672024

विशेष (एन०डी०पी०एस० एक्ट) प्र०क्र०–18/2024
छ०ग० राज्य विरूद्ध प्रकाश विश्वास

(iv) निरीक्षक

(v) उप निरीक्षक

(vi) सहायक उप निरीक्षक

3. **राजस्व विभाग**

... ...

4. **औषधि विभाग**

... ...

18) इस प्रकार उक्त अधिसूचनाओं के अनुसार राज्य सरकार द्वारा पुलिस विभाग के सहायक उप निरीक्षक को एन०डी०पी०एस० एक्ट के अंतर्गत अपने थाना क्षेत्रांतर्गत कार्यवाही करने हेतु प्राधिकृत किया गया है। अतः हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी/विवेचक पंकज धर अ०सा०–06 को एन०डी०पी०एस० एक्ट की धारा 41(2) एवं 42(1) के अनुसार कार्यवाही करने का प्राधिकार होना दर्शित है।

19) कार्यवाही के संबंध में प्रार्थी/विवेचक पंकज धर अ०सा०–06 ने अपने अभिकथन में बताया है कि दिनांक 28/06/2024 को मुखबिर द्वारा मोबाईल से सूचना मिली थी कि एक काले रंग का हीरो डिलक्स मोटरसायकल क्रमांक ओ०डी०–30/बी–2997 में एक सफेद रंग के बोरे में गांजा रखकर एक व्यक्ति गीदम की ओर आ रहा है। उक्त सूचना से थाना प्रभारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) को अवगत करवाया, उनके द्वारा निर्देशित किये जाने पर उक्त सूचना को रोजनामचा सान्हा में दर्ज कर सूचना प्रतिवेदन प्र०पी०–25 तैयार किया था। उसके पश्चात आरक्षक संजय दीवान को दो साक्षी लाने हेतु भेजा था। आरक्षक संजय दीवान द्वारा दो साक्षी सुरेन्द्र कश्यप एवं युवराज उईके को थाना लेकर आने पर साक्षियों को मुखबिर सूचना से अवगत कराते हुये स्वतंत्र साक्षी बनने हेतु नोटिस अंतर्गत धारा 160 द०प्र०सं० प्र०पी०–23 एवं

प्र०पी०–24 दिया था। स्वतंत्र साक्षी सुरेन्द्र कश्यप एवं युवराज उइके द्वारा स्वतंत्र साक्षी बनने हेतु लिखित में सहमति प्र०पी०–02 एवं प्र०पी०–21 दिया गया था। मुखबिर सूचना पंचनामा प्र०पी०–04 साक्षियों के समक्ष तैयार किया था। आ०क्र० 687 हरि यादव को अपराध की सूचना प्राप्त होने की सूचना प्रतिवेदन, मुखबिर सूचना प्रतिवेदन देकर अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) बारसूर के समक्ष भेजा था। आरक्षक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) बारसूर के कार्यालय में न होने की सूचना दिये जाने पर साक्षियों के समक्ष तलाशी वारंट प्राप्त न कर सकने का पंचनामा प्र०पी०–03 तैयार किया था।

20) हमराह स्टाफ साक्षी संजय दीवान अ०सा०–02 ने अपने अभिकथन में प्रार्थी/विवेचक पंकज धर द्वारा उसे स्वतंत्र साक्षी आहूत किये जाने हेतु रवाना किये जाने के संबंध में कोई बात नहीं बताई है। इसी प्रकार अन्य हमराह स्टाफ साक्षी हरि राम यादव अ०सा०–09 ने भी प्रार्थी/विवेचक पंकज धर द्वारा उसे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) बारसूर रवाना किये जाने के संबंध में भी कोई अभिकथन नहीं किया है। प्रार्थी/विवेचक पंकज धर अ०सा०–06 ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि मुखबिर सूचना प्राप्त होने के पश्चात तत्काल कोई भी मुखबिर सूचना पंचनामा साक्षियों के समक्ष तैयार नहीं किया था। उक्त संबंध में कार्यवाही के संबंध में दर्ज रोजनामचा सान्हा क्र० 39 प्र०पी०–41 अवलोकनीय है, जिसके अनुसार दिनांक 28/06/2024 को समय 16:30 बजे मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी। प्रार्थी/विवेचक द्वारा स्वतंत्र साक्षियों को समय 16:40 एवं समय 16:45 बजे थाना गीदम में नोटिस अंतर्गत धारा 160 दं०प्र०सं० प्र०पी०–23, प्र०पी०–24 दिया गया है। उसके पश्चात समय 16:50 बजे वारंट प्राप्त न कर सकने का पंचनामा प्र०पी०–03 तैयार किया गया है। उसके पश्चात प्रार्थी/विवेचक द्वारा समय

17:15 बजे मुखबिर सूचना पंचनामा प्र०पी०–04 तैयार किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी/विवेचक ने समय 16:30 बजे मुखबिर सूचना प्राप्त होने के पश्चात स्वतंत्र साक्षियों को आहूत करने के पश्चात एवं वारंट प्राप्त न कर सकने का पंचनामा तैयार करने के पश्चात मुखबिर सूचना पंचनामा तैयार किया जाना दर्शित है। अतः मुखबिर सूचना प्राप्त होने के पश्चात तत्काल उक्त संबंध में पंचनामा तैयार न किये जाने का सद्भाविक कारण अभिलेख पर उपलब्ध है।

21) प्रार्थी/विवेचक पंकज धर अ०सा०–06 ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसने स्वतंत्र साक्षियों को आहूत किये जाने हेतु हमराह स्टाफ को कर्तव्य प्रमाणपत्र देकर रवाना नहीं किया था। प्रार्थी/विवेचक द्वारा उक्त संबंध में भी रोजनामचा सान्हा प्र०पी०–41 में आ०क्र० 890 संजय दीवान को स्वतंत्र साक्षियों को लेकर आने हेतु रवाना किये जाने का उल्लेख किया गया है। यद्यपि रोजनामचा सान्हा में उक्त आरक्षक को कर्तव्य प्रमाणपत्र देकर रवाना किये जाने का उल्लेख किया गया है, किन्तु उक्त त्रुटि इस प्रकार की नहीं है कि जिसके आधार पर स्वतंत्र साक्षियों को आहूत किये जाने की कार्यवाही पर अविश्वास किया जा सके। स्वतंत्र साक्षी सुरेन्द्र कश्यप अ०सा०–04 एवं युवराज उईके अ०सा०–05 को बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षण में यह सुझाव दिया गया है कि उनके द्वारा प्र०पी०–01 से प्र०पी०–19 तक के दस्तावेजों पर थाना गीदम में हस्ताक्षर किये गये थे, जिसे साक्षियों ने स्वीकार किया है। अतः थाना गीदम में उक्त स्वतंत्र साक्षियों की उपस्थिति को स्वयं बचाव पक्ष द्वारा स्वीकार किया गया है। अतः बचाव पक्ष द्वारा उक्त संबंध में उठाई गयी आपत्ति भी निराधार प्रतीत होती है।

22) प्रार्थी/विवेचक पंकज धर अ०सा०–06 ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) बारसूर को प्रेषित ज्ञापन प्र०पी०–25 के साथ मुखबिर सूचना

पंचनामा की प्रति प्रेषित नहीं की गयी थी और उक्त ज्ञापन में उसके द्वारा सफेदा लगाकर सुधार किया गया है। प्रार्थी/विवेचक ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने मुखबिर सूचना पंचनामा प्र०पी०–04 एवं प्रेषित ज्ञापन प्र०पी०–25 की कार्यवाही एक ही समय पर की गयी है। प्रार्थी/विवेचक पंकज धर द्वारा तलाशी वारंट प्राप्त न कर सकने का पंचनामा प्र०पी०–03 तैयार किया गया है। उक्त पंचनामा में यह उल्लेखित है कि धारा 41 एन०डी०पी०एस० एक्ट के अंतर्गत तलाशी वारंट प्राप्त किये जाने की कार्यवाही किये जाने पर अभियुक्त फरार हो सकते हैं या साक्ष्य को नष्ट कर सकते हैं।इस प्रकार प्रार्थी/विवेचक द्वारा धारा 41 एन०डी०पी०एस० एक्ट के अंतर्गत तलाशी वारंट प्राप्त करने की कोई कार्यवाही नहीं की गयी है, बल्कि धारा 42 (1) एन०डी०पी०एस० एक्ट के अंतर्गत प्राप्त मुखबिर सूचना को लेखबद्ध कर धारा 42 (2) एन०डी०पी०एस० एक्ट के अंतर्गत अपने वरिष्ठ अधिकारी को प्रेषित करने की कार्यवाही की गयी है।

23) अतः इस संबंध में विचार किया जाना है कि प्रकरण में धारा 42 एन०डी०पी०एस० एक्ट के प्रावधान लागू होते हैं अथवा नहीं। एन०डी०पी०एस० एक्ट की धारा 42 के अंतर्गत वारण्ट या प्राधिकार के बिना प्रवेश, तलाशी, अभिग्रहण और गिरफ्तार करने की शक्तियों का प्रावधान किया गया है। धारा 42 (1) एन०डी०पी०एस० एक्ट के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा सशक्त किये गये अधिकारी को व्यक्तिगत जानकारी या किसी व्यक्ति द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर किसी भवन, प्रवहण या परिवेष्टित स्थान में सूर्योदय और सूर्यास्त के मध्य कार्यवाही करने हेतु अधिकृत किया गया है। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी/विवेचक

पंकज धर अ०सा०–06 द्वारा कार्यवाही किसी भवन, प्रवहण या परिवेष्ठित स्थान में नहीं की गयी है, बल्कि सड़क जैसे सार्वजनिक स्थान में की गयी है।

24) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***Ravindran v. Supdt. of Customs***, (2007) **6 SCC 410** के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि–

> **7.** We hold that the High Court was right in coming to the conclusion that Section 42 of the Act was not attracted to the facts of this case. In the instant case on information received by PW 2 who communicated the same to PW 1, the witnesses went to the bus–stand where the person carrying the drug was expected to arrive. The appellant was arrested at the bus–stand. The appellant was, therefore, not searched and arrested in exercise of power of arrest, search, and seizure under Section 42 of the Act. Section 42 applies to a case where the officers concerned on information received, or having reason to believe from personal knowledge that any offence has been committed in relation to any drug or psychotropic substance, etc. and which is kept or concealed in any building, conveyance or enclosed place may, between sunrise and sunset, enter into and search any building, conveyance or place. They are also vested with the power of search and seizure and authorised to arrest the person whom they have reason to believe to have committed any offence punishable under this Act. The facts of this case disclose that the arrest and seizure took place at the bus–stand and not in any building, conveyance or enclosed place. The High Court has rightly held that the case was covered by Section 43 of the Act which does not require the

information of any person to be taken down in writing. Similarly, there is no requirement that the officer concerned must send a copy thereof to his immediate official superior within 72 hours. We, therefore, hold in agreement with the High Court that Section 42 of the Act was not attracted to the facts of the case. It is, therefore, unnecessary to burden this judgment with decisions cited at the Bar regarding the effect of non–compliance with Section 42 of the Act.

25) अतः उपरोक्त न्यायदृष्टांत के आलोक में यह स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण में जप्ती की कार्यवाही सार्वजनिक स्थान अर्थात सड़क पर किये जाने के कारण धारा 42 एन०डी०पी०एस० एक्ट के प्रावधान आकर्षित नहीं होते हैं। अतः हस्तगत प्रकरण में धारा 42 के प्रावधान आकर्षित न होने के कारण धारा 42 (2) एन०डी०पी०एस० एक्ट के आज्ञापक प्रावधान का अनुपालन किया जाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी/विवेचक द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारी अर्थात अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) बारसूर को मुखबिर सूचना पंचनामा प्रेषित न किये जाने, प्र०पी०–04 एवं प्र०पी०–25 की कार्यवाही एक ही समय पर किये जाने तथा प्र०पी०–25 में कांटछांट किये जाने के आधार पर संपूर्ण कार्यवाही पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है। बचाव पक्ष द्वारा उक्त संबंध में उठाई गयी आपत्तियां निराधार होने से अस्वीकार की जाती हैं।

26) प्रकरण में संपूर्ण कार्यवाही सार्वजनिक स्थान पर किये जाने के कारण धारा 43 के प्रावधान लागू होते हैं। एन०डी०पी०एस० एक्ट की धारा 43 में लोक स्थान में अभिग्रहण और गिरफ्तार करने की शक्ति का उल्लेख किया गया है। उक्त प्रावधान अनुसार धारा 42 में उल्लेखित

किसी विभाग का अधिकारी लोक स्थान में या अभिवहन में मादक पदार्थ के संबंध में कार्यवाही कर सकता है और ऐसे मादक पदार्थ के प्राप्त होने पर संबंधित व्यक्ति की तलाशी लेकर मादक पदार्थ को अपने कब्जे में ले सकता है। अतः प्रार्थी/विवेचक पंकज धर अ०सा०–06 द्वारा धारा 43 एन०डी०पी०एस० एक्ट के अनुपालन में सार्वजनिक स्थान पर तलाशी लेने एवं मादक पदार्थ को कब्जे में लेने की प्रक्रिया का पालन किया जाना दर्शित होता है।

27) आगे की कार्यवाही के संबंध में प्रार्थी/विवेचक पंकज धर अ०सा०–06 ने अपने अभिकथन में बताया है कि उसके पश्चात हमराह स्टाफ विवेचना किट, लैपटाप, प्रिंटर, मोबाईल प्रिंटर, इलेक्ट्रिक तराजू व अन्य विवेचना सामग्री के साथ शासकीय वाहन से बारसूर चौक मण्डी के पास जाकर नाकाबंदी किया। आने–जाने वाले वाहनों को चेकिंग करने लगे। कुछ देर पश्चात एक काले रंग का हीरो डिलक्स मोटरसायकल आया, जिसे रोककर तस्दीक किया गया। उक्त वाहन मुखबिर के अनुसार पाया गया। वाहन में एक व्यक्ति सवार था और उसके पास सफेद रंग की बोरी थी। संदेही ने अपना नाम प्रकाश विश्वास होना बताया। विवेचना कार्यवाही मौके पर ही प्रारंभ किया। साक्षियों के समक्ष मुखबिर सूचना तस्दीक पंचनामा प्र०पी०–05 तैयार किया था। अभियुक्त को साक्षियों के समक्ष उसके अधिकारों से अवगत कराते हुये उसके पास रखे मोटरसायकल के पीछे बंधे सफेद बोरी की तलाशी लिये जाने के संबंध में सहमति बाबत नोटिस (संदेही) प्र०पी०–06 तैयार किया। अभियुक्त की तलाशी लिये जाने हेतु सहमति प्राप्त किये जाने हेतु धारा 50 एन०डी०पी०एस० एक्ट के तहत तलाशी बाबत संदेही को नोटिस प्र०पी०–07 दिया था। अभियुक्त को दिया गया नोटिस अंतर्गत धारा 50 एन०डी०पी०एस० एक्ट प्र०पी०–26 है। अभियुक्त से तलाशी लिये जाने हेतु स्वयं, स्टाफ, साक्षी व साथ लाये वाहन की तलाशी पंचनामा

प्र०पी०–01 तैयार किया था। तलाशी के दौरान स्टाफ, साक्षी एवं शासकीय वाहन में कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिला था। अभियुक्त के पहने कपड़ो, मोटरसायकल और उसमें रखे सफेद रंग की बोरी का तलाशी लिया था। सफेद रंग की बोरी में 4 पैकेट सेलो टेप से लिपटा हुआ हरा रंग व सूखी घास व बीजयुक्त मादक पदार्थ गांजा जैसा पदार्थ बरामद हुआ, जिसके संबंध में तैयार तलाशी पंचनामा प्र०पी०–08 है।

28) इस प्रकार अभियुक्त को तलाशी के पूर्व धारा 50 एन०डी०पी०एस० एक्ट के आज्ञापक प्रावधान के अनुपालन में अभियुक्त के शरीर की तलाशी एवं अभियुक्त के आधिपत्य की मोटरसायकल की तलाशी मजिस्ट्रेट अथवा राजपत्रित अधिकारी से कराये जाने का विकल्प दिया गया है। प्रार्थी/विवेचक द्वारा उक्त संबंध में सहमति बाबत नोटिस प्र०पी०–06, तलाशी बाबत नोटिस प्र०पी०–07, नोटिस अंतर्गत धारा 50 एन०डी०पी०एस० एक्ट प्र०पी०–26 तैयार किया है। उक्त सभी नोटिस में अभियुक्त को तलाशी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के समक्ष कराये जाने का विकल्प दिया गया है। बचाव पक्ष द्वारा धारा 50 एन०डी०पी०एस० एक्ट के अनुपालन के संबंध में यह आपत्ति की गयी है कि अभियुक्त से स्वयं की तलाशी लिये जाने के संबंध में लिखित सहमति नहीं ली गयी है। प्रार्थी/विवेचक पंकज धर अ०सा०–06 ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने अभियुक्त से लिखित सहमति नहीं ली थी। प्रार्थी/विवेचक ने स्पष्ट करते हुये व्यक्त किया है कि अभियुक्त हिन्दी लिखना पढ़ना नहीं आता था। प्रार्थी/विवेचक ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया है कि अभियुक्त ठीक से हिन्दी समझ नहीं पाता है। प्रार्थी/विवेचक ने स्पष्ट करते हुये व्यक्त किया है कि अभियुक्त 15–20 वर्ष से ग्राम नेलसनार में निवासरत है।

प्र०पी०–06, प्र०पी०–07 एवं प्र०पी०–27 के अवलोकन से यह दर्शित है कि उक्त किसी भी दस्तावेज में अभियुक्त द्वारा प्रार्थी/विवेचक से तलाशी कराये जाने की सहमति का उल्लेख नहीं है।

29) उक्त संबंध में यह स्पष्ट है कि धारा 50 एन०डी०पी०एस० एक्ट के वैधानिक अधिकार के बारे में लिखित रूप से सूचित किया जाना एवं लिखित सहमति लिया जाना आवश्यक नही है और उक्त संबंध में मौखिक रूप से भी सूचित कर सहमति ली जा सकती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **State of Punjab v. Baldev Singh, (1999) 6 SCC 172** के मामले में अभिनिर्धारित किया है कि–

> **57.** On the basis of the reasoning and discussion above, the following conclusions arise:
>
> (1) That when an empowered officer or a duly authorised officer acting on prior information is about to search a person, it is imperative for him to inform the person concerned of his right under sub–section (1) of Section 50 of being taken to the nearest gazetted officer or the nearest Magistrate for making the search. However, such information may not necessarily be in writing.

30) उक्त न्यायदृष्टांत के आलोक में यह स्पष्ट है कि धारा 50 एन०डी०पी०एस० एक्ट के वैधानिक अधिकार के संबंध में अभियुक्त को लिखित में सूचित कर सहमति लिया जाना आवश्यक नहीं है, बल्कि उक्त अधिकार के बारे में अभियुक्त को मौखिक रूप से भी सूचित कर सहमति ली जा सकती है। अतः बचाव पक्ष का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है कि अभियुक्त द्वारा तलाशी हेतु लिखित में कोई सहमति नहीं दी गयी है। एन०डी०पी०एस० एक्ट की धारा 50 (1) के

CGDA010005672024

अनुसार अभियुक्त को केवल राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी कराने का विकल्प दिया जाना आवश्यक है। एन०डी०पी०एस० एक्ट की धारा 50 (5) के अनुसार यदि राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के पास ले जाना संभव न हो तो धारा 42 के अंतर्गत प्राधिकृत व्यक्ति दं०प्र०सं० की धारा 100 के अनुसार तलाशी ले सकता है। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी/विवेचक द्वारा अभियुक्त को मजिस्ट्रेट अथवा राजपत्रित अधिकारी के समक्ष तलाशी कराये जाने का विकल्प देने के पश्चात अभियुक्त के शरीर की तलाशी लेने के पश्चात तलाशी पंचनामा प्र०पी०–08 तैयार किया गया है । इस प्रकार प्रार्थी/विवेचक द्वारा धारा 100 दं०प्र०सं० के अंतर्गत विधिवत तलाशी ली गयी है। अतः प्रकरण में धारा 50 एन०डी०पी०एस० एक्ट के आज्ञापक प्रावधान का अनुपालन किया जाना दर्शित होता है। बचाव पक्ष द्वारा तलाशी हेतु सहमति के संबंध में उठायी गयी आपत्ति निराधार होने से अस्वीकार की जाती है।

31) आगे की कार्यवाही के संबंध में प्रार्थी/विवेचक पंकज धर अ०सा०–06 ने अपने अभिकथन में बताया है कि अभियुक्त से बरामद सामग्री के संबंध में बरामदगी पंचनामा प्र०पी०–09 तैयार किया था। अभियुक्त से बरामद मादक पदार्थ गांजा जैसा पदार्थ साक्षियों को दिखाकर, चखाकर व सुंघाकर व जलाकर पहचान करवाया था, साक्षियों द्वारा मादक पदार्थ गांजा जैसा होना बताये जाने पर मादक पदार्थ पहचान पंचनामा प्र०पी०–10 तैयार किया था। अभियुक्त को उसके पास रखे गांजा परिवहन करने के संबंध में दस्तावेज पेश करने हेतु धारा 67 एन०डी०पी०एस० एक्ट के तहत नोटिस प्र०पी०–27 दिया था। बरामद गांजा जैसा मादक पदार्थ को साक्षियों के समक्ष प्रदर्श अंकन (A) (B) (C) (D) कर प्रदर्श अंकन पंचनामा प्र०पी०–11 तैयार किया था। मौके पर ही साथ लाये इलेक्ट्रानिक तराजू का आ०क्र० 621 कैलाश नाग से सत्यापन करवाया

था, जिसके सही पाये जाने पर तराजू का भौतिक सत्यापन पंचनामा प्र०पी०–12 तैयार किया था। तौलकर्ता कैलाश नाग से बरामद गांजा जैसा मादक पदार्थ का 4 पैकेट को तौल करवाया, जिसका कुल वजन 7.5 कि०ग्रा० होना पाया गया। तैयार तौल पंचनामा प्र०पी०–13 है। बरामद सामग्री सफेद रंग के बोरे में भरा 4 पैकेट मादक पदार्थ गांजा, मोटरसायकल हीरो डीलक्स, नगद 540 रूपये को जप्त कर जप्ती पत्रक प्र०पी०–14 तैयार किया था। बरामद मादक पदार्थ गांजा को मौके पर ही सीलबंद कर नमूना सील अंकित कर नमूना सील पंचनामा प्र०पी०–15 तैयार किया था।

32) प्रार्थी/विवेचक का आगे अभिकथन है कि अभियुक्त को विधिवत गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र०पी०–16 तैयार किया था। गिरफ्तारी की सूचना प्र०पी०–28 अभियुक्त के परिजनों को दिया था। अभियुक्त की गिरफ्तारी की सूचना पंचनामा प्र०पी०–17 तैयार किया था। अभियुक्त की पत्नि को उसकी गिरफ्तारी की आधारो की सूचना एवं जानकारी धारा 20 द०प्र०सं० के तहत दिया था, जिसके संबंध में तैयार प्रतिवेदन प्र०पी०–29 है। अभियुक्त को उसके गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराते हुये गिरफ्तारी के कारणों का पंचनामा प्र०पी०–18 तैयार किया था। अभियुक्त को अभिरक्षा में लेकर उससे पूछताछ कर उसका मेमोरेण्डम कथन प्र०पी०–19 लेखबद्ध किया था। मेमोरेण्डम कथन में अभियुक्त ने बताया था कि उससे सफेद बोरी भरा गांजा बरामद किये है और साथ में मोटरसायकल ओ०डी०–30/बी०–2997 को भी बरामद किये है। घटनास्थल का नजरी नक्शा प्र०पी०–30 तैयार किया था। मौके पर ही देहाती नालसी प्र०पी०–31 लेखबद्ध किया था। कार्यवाही पश्चात देहाती नालसी मय माल मुलजिम थाना वापस आकर देहाती नालसी के आधार पर थाना गीदम के अपराध क्रमांक 75/2024 अंतर्गत धारा 20

(बी) एन०डी०पी०एस० एक्ट में अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी०–32 लेखबद्ध किया था। साक्षी सुरेन्द्र कश्यप, युवराज उईके, संजय दीवान, संतोष यादव, रोहित कुर्रे, कैलाश नाग का कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया था।

33) कार्यवाही के संबंध में हमराह स्टाफ साक्षी रोहित कुर्रे अ०सा०–01 ने अपने अभिकथन में बताया है कि वह अभियुक्त को पहचानता है। दिनांक 28/06/2024 को थाना गीदम में ड्यूटी के दौरान स०उ०नि० पंकज धर को सूचना मिली की मंडी चौक गीदम में 01 व्यक्ति मोटरसायकल में गांजा लेकर खड़ा है। वह हमराह स्टाफ के साथ मंडी चौक गया तो वह व्यक्ति उन लोगों को देखकर भागने लगा। घेराबंदी कर उक्त व्यक्ति को पकड़ने पर उसके पास 04 पैकेट मादक पदार्थ गांजा बरामद हुआ था। नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम प्रकाश विश्वास होना बताया था। स०उ०नि० पंकज धर ने इलेक्ट्रानिक मशीन से मादक पदार्थ गांजा का तौल किया था। स्टाफ, गवाह एवं वाहन की तलाशी पंचनामा प्र०पी०–01 पर उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने पुलिस कथन में यह नहीं बताया था कि वाहन चेकिंग के दौरान मोटरसायकल चालक को रूकवाकर तलाशी ली गयी थी। साक्षी ने स्पष्ट करते हुये बताया है कि संदिग्ध व्यक्ति मौके पर खड़ा था। इस प्रकार उक्त हमराह स्टाफ साक्षी ने अभियुक्त को मंडी चौक गीदम पर खड़े होना बताया है, जबकि प्रकरण में अभियुक्त को बारसूर चौक में मोटरसायकल चलाकर आते समय रोककर तलाशी ली गयी है। इस प्रकार उक्त साक्षी ने अपने पुलिस कथन से विरोधाभाषी अभिकथन किया गया है। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया है कि उसके समक्ष अभियुक्त के मौके पर कोई तलाशी नहीं ली गयी थी। अतः उक्त साक्षी ने अभियुक्त की

तलाशी उसके समक्ष लिये जाने से इंकार किया है। इस प्रकार उक्त हमराह स्टाफ साक्षी के अभिकथन से अभियुक्त से मादक पदार्थ गांजा की बरामदगी प्रमाणित नहीं होती है।

34) अन्य हमराह स्टाफ साक्षी संजय दीवान अ०सा०–02 ने अपने अभिकथन में बताया है कि वह अभियुक्त को पहचानता है। दिनांक 28/06/2024 को स०उ०नि० पंकज धर को मुखबिर सूचना मिली की बारसूर चौक में कोई व्यक्ति गांजा लेकर आ रहा है, जिसके बाद में वे लोग बारसूर चौक पहुंचकर वाहन की चेकिंग कर रहे थे। उसी समय एक व्यक्ति मोटरसायकल में सफेद रंग की बोरी लेकर आ रहा था, जिसे रोककर चेकिंग करने पर बोरी में 04 पैकेट मादक पदार्थ गांजा मिला था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने स्वयं बोरी को चेक नहीं किया था और अभियुक्त की तलाशी मौके पर नहीं ली गयी थी। इस प्रकार यद्यपि उक्त साक्षी ने मुख्य परीक्षण में किसी व्यक्ति से 04 पैकेट मादक पदार्थ गांजा बरामद होना बताया है, किन्तु उक्त व्यक्ति कौन था, इस संबंध में साक्षी ने कोई अभिकथन नहीं किया है। अतः उक्त हमराह स्टाफ साक्षी के अभिकथन से भी अभियुक्त से मादक पदार्थ गांजा की बरामदगी प्रमाणित नहीं होती है।

35) अन्य हमराह स्टाफ साक्षी कैलाश नाग अ०सा०–03 ने अपने अभिकथन में बताया है कि वह अभियुक्त को पहचानता है। वह स०उ०नि० पंकज धर के हमराह में गांजा रेड कार्यवाही हेतु सी०एच०सी० गीदम के पास गया था, जहां प्रार्थी/विवेचक ने अभियुक्त से मादक पदार्थ गांजा बरामद किया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि थाना गीदम में प्रार्थी/विवेचक के बताये जाने पर उसे बरामद संपत्ति की जानकारी हुई थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि मौके पर प्रार्थी/विवेचक ने रेड संबंधी कोई कार्यवाही नहीं की थी। इस प्रकार उक्त साक्षी ने भी

प्रार्थी/विवेचक के बताये जाने पर ही मादक पदार्थ गांजा की बरामदगी की जानकारी स्वीकार किया है। अतः उक्त साक्षी के अभिकथन से अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

36) अन्य हमराह स्टाफ/कायमीकर्ता साक्षी संतोष यादव अ०सा०–07 ने अपने अभिकथन में बताया है कि वह अभियुक्त को पहचानता है । घटना दिनांक को वह स०उ०नि० पंकज धर के हमराह में बारसूर चौक गया था। बीजापुर से मोटरसायकल आ रही थी, जिसे रोककर पूछताछ करने पर चालक ने अपना नाम प्रकाश विश्वास होना बताया था। मोटरसायकल में 01 बोरी रखा था, जिसे चेक करने पर मादक पदार्थ गांजा मिला था। अभियुक्त ने मादक पदार्थ गांजा के संबंध में कोई दस्तावेज न होना बताया था। थाना वापस आकर उसने स०उ०नि० पंकज धर द्वारा देहाती नालसी पेश करने पर थाना गीदम के अप०क्र० 75/2024 धारा 20 (बी) एन०डी०पी०एस० एक्ट के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी०–32 लेखबद्ध किया था। प्रतिपरीक्षण साक्षी ने स्वीकार किया है कि हमराह स्टाफ के साथ कोई स्वतंत्र साक्षी मौके पर नहीं गये थे और उसने स०उ०नि० पंकज धर से कथित बरामद पदार्थ एवं मोटरसायकल प्राप्त नहीं की थी। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया है कि उसने स्वयं अभियुक्त एवं उसके वाहन की तलाशी नहीं ली थी। इस प्रकार उक्त साक्षी ने अभियुक्त की स्वयं तलाशी न लिया जाना बताया है, किन्तु साक्षी का यह अभिकथन प्रतिपरीक्षण में भी अखण्डित रहा है कि अभियुक्त के मोटरसायकल में रखी बोरी में मादक पदार्थ गांजा मिला था।

37) मालखाना प्रभारी साक्षी राजकुमार सिंह अ०सा०–08 ने अपने अभिकथन में बताया है कि दिनांक 28/06/2024 को स०उ०नि० पंकज धर द्वारा अभियुक्त प्रकाश विश्वास से जप्त 01 स्लेटी रंग के पिट्ठू बैग में भरा 04 पैकेट गांजा, मोटरसायकल क्र० ओ०डी०–30/बी०–

2997, नगद राशि 540/– रूपये मालखाना में सुरक्षार्थ रखने हेतु प्रदान किया गया था, जिसे उसने प्राप्त कर जप्त माल रजिस्टर प्र०पी०–48 के क्र० 61 में अंकित किया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने प्रार्थी/विवेचक को पृथक से कोई पावती नहीं दी थी। अन्य हमराह स्टाफ साक्षी हरि राम यादव अ०सा०–09 ने थाना प्रभार गीदम द्वारा कर्तव्य प्रमाणपत्र देकर रासायनिक परीक्षण हेतु क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला जगदलपुर जाना बताया है।

38) प्रार्थी/विवेचक पंकज धर अ०सा०—06 ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसके द्वारा कथित मादक पदार्थ की तौल कार्यवाही व्यवसायी से न कराकर पुलिस आरक्षक से कराई है। उक्त संबंध में यह स्पष्ट है कि यद्यपि मौके पर तौल कार्यवाही पुलिस आरक्षक के कराई गयी है, किन्तु भौतिक सत्यापन एवं इन्वेंट्री कार्यवाही के दौरान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दंतेवाड़ा के समक्ष बरामद मादक पदार्थ गांजा की तौल कार्यवाही स्वतंत्र साक्षी रितिक शिवहरे के समक्ष की गयी है। यह भी स्पष्ट है कि मौके पर प्रार्थी/विवेचक द्वारा मादक पदार्थ गांजा से किसी प्रकार का सैम्पल नहीं निकाला गया था। अतः भौतिक सत्यापन एवं इन्वेंट्री कार्यवाही के दौरान अभियुक्त से बरामद मादक पदार्थ गांजा को उसी स्थिति में प्रस्तुत किया गया था, जिस स्थिति में उसे बरामद किया गया था। अतः मौके पर तौल कार्यवाही स्वतंत्र साक्षी से न कराये जाने के आधार पर मादक पदार्थ गांजा के वजन के संबंध में कोई संदेह किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

39) आगे की कार्यवाही के संबंध में प्रार्थी/विवेचक पंकज धर अ०सा०–06 ने अपने अभिकथन में बताया है कि दिनांक 02/07/2024 को जप्तशुदा मादक पदार्थ का इन्वेंट्री कार्यवाही मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दंतेवाड़ा के समक्ष करवाया था, जप्त सामग्री की सूची प्र०पी०–33 एवं प्र०पी०–34 है। धारा 52 क (2) एन०डी०पी०एस० एक्ट के अधीन की गयी इन्वेंट्री की कार्यवाही

का आर्डरशीट प्र०पी०–35 एवं तैयार प्रपत्र प्र०पी०–36 है। इन्वेंट्री कार्यवाही के दौरान तैयार फोटोग्राफ आर्टिकल ए–1, ए–2, ए–3, ए–4 एवं ए–5 है। दिनांक 22/08/2024 को उसने घटनास्थल का पटवारी नजरी नक्शा प्रदाय किये जाने बाबत तहसीलदार गीदम को पत्र प्र०पी०–37 लिखा था। जप्तशुदा प्रदर्श को पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा के माध्यम से रासायनिक परीक्षण कराये जाने हेतु संयुक्त संचालक क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला जगदलपुर भेजवाया था, पुलिस अधीक्षक द्वारा तैयार ज्ञापन प्र०पी०–38 है, प्रदर्श प्राप्ती रसीद प्र०पी०–39 है एवं परीक्षण रिपोर्ट प्र०पी०–40 है। परीक्षण परिणाम के अनुसार प्रदर्श–ए में गांजा है।

40) प्रार्थी/विवेचक ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने मौके पर कथित मादक पदार्थ के पैकेटों से कोई भी सैम्पल नहीं निकाला था और मालखाना में भी कोई सैम्पल जमा नहीं कराया था। मालखाना प्रभारी राजकुमार सिंह अ०सा०–08 ने भी प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि प्रार्थी/विवेचक पंकज धर ने मालखाना में जमा कराये जाने हेतु कोई सैम्पल नहीं दिया था। उक्त संबंध में यह स्पष्ट है कि प्रार्थी/विवेचक ने मौके पर बरामद मादक पदार्थ गांजा से किसी प्रकार के सैम्पल निकाले जाने की कार्यवाही नहीं की गयी है, बल्कि सैम्पल निकाले जाने की कार्यवाही मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दंतेवाड़ा के समक्ष की गयी है, जिसकी पुष्टि प्र०पी०–33 से प्र०पी०–36 तक के दस्तावेजों से होती है। नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (जप्ती, भण्डारण, नमूनाकरण और निपटान) नियम 2022 के अंतर्गत मादक पदार्थों के सैम्पल न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष लिया जाना आवश्यक है। उक्त नियम 23/12/2022 से प्रभावी हैं। हस्तगत प्रकरण में कार्यवाही दिनांक 28/06/2024 को की गयी है। अतः प्रार्थी/विवेचक द्वारा मौके पर किसी प्रकार के सैम्पल न निकालकर किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं की गयी है। मुख्य न्यायिक

मजिस्ट्रेट दंतेवाड़ा के समक्ष दिनांक 02/07/2024 को बरामद मादक पदार्थ गांजा से सैम्पल ए–1, ए–2 निकाले गये हैं। इस प्रकार नियम 2022 के अनुसार ही प्रकरण में सैम्पल निकाले जाने की कार्यवाही की गयी है। अतः प्रकरण में मालखाना प्रभारी को भी सैम्पल न सौंपे जाने के आधार पर कार्यवाही में किसी प्रकार की त्रुटि दर्शित नहीं होती है। अतः बचाव पक्ष द्वारा उक्त संबंध में उठाई गयी आपत्ति निराधार होने से अस्वीकार की जाती है।

41) प्रार्थी/विवेचक ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि जप्ती पत्रक प्र०पी०–14 में नमूना सील अंकित नहीं है। उक्त संबंध में यह स्पष्ट है कि जप्ती पत्रक प्र०पी०–14 में नमूना सील अंकित नहीं की गयी है, किन्तु प्रार्थी/विवेचक द्वारा नमूना सील पंचनामा प्र०पी०–15 में सील का नमूना अंकित किया गया है। प्रार्थी/विवेचक द्वारा मौके पर बरामद मादक पदार्थ गांजा को सीलबंद कर थाने के मालखाना में जमा कराया गया है। थाना के मालखाना रजिस्टर प्र०पी०–48 में बरामद मादक पदार्थ गांजा को सीलबंद स्थिति में जमा कराया जाना उल्लेखित है। भौतिक सत्यापन एवं इन्वेंट्री कार्यवाही के दौरान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दंतेवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत बोरी को सीलबंद होना पाया गया है, जिसकी पुष्टि आदेश पत्रिका प्र०पी०–35 से होती है। भौतिक सत्यापन एवं इंवेन्ट्री कार्यवाही के दौरान निकाले गये सैम्पल ए–1, ए–2 को थाना गीदम की सील से सीलबंद किया गया है, जिसका सील नमूना भी आदेश पत्रिका प्र०पी०–35 में अंकित है। परीक्षण परिणाम रिपोर्ट प्र०पी०–46 में उक्त नमूना सील अंकित होना पाया गया है। अतः मौके पर बरामद मादक पदार्थ गांजा को बोरी में रखकर सीलबंद किया जाना दर्शित है और उक्त सीलबंद बोरी को ही मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दंतेवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार जप्ती पत्रक प्र०पी०–14 में

सील का नमूना अंकित न किया जाना संपूर्ण कार्यवाही को संदेहपूर्ण नहीं बनाता है। अतः बचाव पक्ष द्वारा उक्त संबंध में उठाई गयी आपत्ति निराधार होने से अस्वीकार की जाती है।

42) मालखाना प्रभारी साक्षी राजकुमार सिंह अ०सा०–08 द्वारा मालखाना में जमा कराई गयी संपत्ति के संबंध में पृथक से पावती दिया जाना आवश्यक नहीं है। हस्तगत प्रकरण में जप्त माल रजिस्टर की मूल प्रति प्र०पी०–48 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है, जिसमें दिनांक 28/06/2024 को प्रकरण में बरामद संपत्तियों को मालखाना में जमा कर इंद्राज किया जाना दर्शित है। अतः उक्त संबंध में बचाव पक्ष द्वारा उठाई गयी आपत्ति निराधार होने से अस्वीकार की जाती है।

43) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नवीनतम न्यायदृष्टांत **Bharat Aambale v. State of Chhattisgarh, 2025 SCC Online SC 110** के मामले में अभिनिर्धारित किया है कि–

> **50.** We summarize our final conclusion as under:—
>
> (I) Although Section 52A is primarily for the disposal and destruction of seized contraband in a safe manner yet it extends beyond the immediate context of drug disposal, as it serves a broader purpose of also introducing procedural safeguards in the treatment of narcotics substance after seizure inasmuch as it provides for the preparation of inventories, taking of photographs of the seized substances and drawing samples therefrom in the presence and with the certification of a magistrate. Mere drawing of samples in presence of a gazetted officer would not constitute sufficient compliance of the mandate under Section 52A sub–section (2) of the NDPS Act.

(II) Although, there is no mandate that the drawing of samples from the seized substance must take place at the time of seizure as held in *Mohanlal* (supra), yet we are of the opinion that the process of inventorying, photographing and drawing samples of the seized substance shall as far as possible, take place in the presence of the accused, though the same may not be done at the very spot of seizure.

(III) Any inventory, photographs or samples of seized substance prepared in substantial compliance of the procedure prescribed under Section 52A of the NDPS Act and the Rules/Standing Order(s) thereunder would have to be mandatorily treated as primary evidence as per Section 52A subsection (4) of the NDPS Act, irrespective of whether the substance in original is actually produced before the court or not.

(IV) The procedure prescribed by the Standing Order(s)/Rules in terms of Section 52A of the NDPS Act is only intended to guide the officers and to see that a fair procedure is adopted by the officer in–charge of the investigation, and as such what is required is substantial compliance of the procedure laid therein.

(V) Mere non–compliance of the procedure under Section 52A or the Standing Order(s)/Rules thereunder will not be fatal to the trial unless there are discrepancies in the physical evidence rendering the prosecution's case doubtful, which may not have been there had such compliance been done. Courts should take a holistic and cumulative view of the discrepancies that may exist in the evidence adduced by the prosecution and appreciate the same more carefully keeping in mind the procedural lapses.

(VI) If the other material on record adduced by the prosecution, oral or documentary inspires confidence and satisfies the court as regards the recovery as–well as conscious possession of the contraband from the accused persons, then even in such cases, the courts can without hesitation proceed to hold the accused guilty notwithstanding any procedural defect in terms of Section 52A of the NDPS Act.

(VII) Non–compliance or delayed compliance of the said provision or rules thereunder may lead the court to drawing an adverse inference against the prosecution, however no hard and fast rule can be laid down as to when such inference may be drawn, and it would all depend on the peculiar facts and circumstances of each case.

(VIII) Where there has been lapse on the part of the police in either following the procedure laid down in Section 52A of the NDPS Act or the prosecution in proving the same, it will not be appropriate for the court to resort to the statutory presumption of commission of an offence from the possession of illicit material under Section 54 of the NDPS Act, unless the court is otherwise satisfied as regards the seizure or recovery of such material from the accused persons from the other material on record.

(IX) The initial burden will lie on the accused to first lay the foundational facts to show that there was non–compliance of Section 52A, either by leading evidence of its own or by relying upon the evidence of the prosecution, and the standard required would only be preponderance of probabilities.

(X) Once the foundational facts laid indicate non–compliance of Section 52A of the NDPS Act, the onus would thereafter be on the prosecution to

prove by cogent evidence that either (I) there was substantial compliance with the mandate of Section 52A of the NDPS Act **OR** (ii) satisfy the court that such non–compliance does not affect its case against the accused, and the standard of proof required would be beyond a reasonable doubt.

44) अतः उक्त न्यायदृष्टांत के आलोक में यह स्पष्ट है कि धारा 52–क एन०डी०पी०एस० एक्ट के प्रावधान का अनुपालन आज्ञापक नहीं है। हस्तगत प्रकरण में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दंतेवाड़ा द्वारा धारा 52–क एन०डी०पी०एस० एक्ट के अंतर्गत इन्वेंट्री की कार्यवाही की गयी है, जिसके संबंध में जप्त सामग्री की सूची प्र०पी०–33, प्र०पी०–34, आदेश पत्रिका प्र०पी०–35, इंवेन्ट्री प्र०पी०–36 एवं उक्त कार्यवाही के समय तैयार फोटोग्राफ आर्टिकल ए–1 से ए–5 प्रकरण में प्रस्तुत है। उक्त कार्यवाही के दौरान प्रकरण में जप्तशुदा मादक पदार्थ गांजा को सीलबंद अवस्था में होना पाया गया है। मादक पदार्थ गांजा का कुल वजन 7.528 कि०ग्रा० होना पाया गया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दंतेवाड़ा द्वारा इन्वेंट्री के दौरान निकाले गये सैम्पल ए–1, ए–2 में से सैम्पल ए–1 को एफ०एस०एल० परीक्षण हेतु भेजा गया है। एफ०एस०एल० परीक्षण रिपोर्ट प्र०पी०–40 में सैम्पल ए–1 के परीक्षण में गांजा होना पाया गया है। बचाव पक्ष द्वारा इन्वेंट्री की कार्यवाही के दौरान सैम्पल निकालने की प्रक्रिया को कोई चुनौती नहीं दी गयी है। अतः प्रकरण में एन०डी०पी०एस० एक्ट की धारा 52–क का अनुपालन किया जाना भी दर्शित होता है।

45) एन०डी०पी०एस० एक्ट की धारा 35 के अंतर्गत आपराधिक मानसिक दशा की उपधारणा की जा सकती है। इसी प्रकार एन०डी०पी०एस० एक्ट की धारा 54 के अंतर्गत अवैध वस्तुओं के कब्जे के संबंध में उपधारणा की जा सकती है। हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त से की गयी

मादक पदार्थ गांजा की बरामदगी एवं जप्ती की कार्यवाही के संबंध में प्रार्थी/विवेचक एवं हमराह स्टाफ साक्षी संतोष यादव अ०सा०–07 द्वारा किये गये अभिकथन विश्वसनीय प्रतीत होते हैं। प्रार्थी/विवेचक द्वारा मौके पर अभियुक्त के आधिपत्य से बरामद मादक पदार्थ गांजा को सीलबंद करने के उपरांत मालखाना में जमा कराया गया था । मालखाना से निकालकर बरामद मादक पदार्थ गांजा को भौतिक सत्यापन एवं इंवेन्ट्री कार्यवाही हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दंतेवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है । मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दंतेवाड़ा के समक्ष निकाले गये सैम्पल ए–1 को पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा द्वारा सीलबंद स्थिति में एफ०एस०एल० परीक्षण हेतु जमा कराया गया है। एफ०एस०एल० परीक्षण हेतु जमा कराये गये सैम्पल ए–1 की सील अविकल (Intact) पायी गयी है। एफ०एस०एल० परीक्षण रिपोर्ट प्र०पी०–40 में सैम्पल ए–1 में मादक पदार्थ गांजा के परीक्षण धनात्मक पाये गये हैं। अतः अभियुक्त से मौके पर मादक पदार्थ गांजा की बरामदगी करने के पश्चात से सैम्पल ए–1 को एफ०एस०एल० परीक्षण हेतु जमा कराये जाने तक के किसी भी स्तर का सैम्पल ए–1 के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ किये जाने के संबंध में कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं है। अतः अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध यह उपधारणा की जा सकती है कि अभियुक्त द्वारा अपने आधिपत्य में मादक पदार्थ गांजा रखा गया है।

46) **माननीय छ०ग० उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा Smt. Sneha Goyal Vs. State of Chhattisgarh, 2026:CGHC:11759–DB** के मामले में अभिनिर्धारित किया है कि–

> **77.** Furthermore, once the possession of the contraband substance by the appellants stands established from the evidence on record, the statutory presumptions contained under Sections 35 and 54 of the NDPS

Act automatically come into operation. These provisions cast a burden upon the accused to satisfactorily explain the circumstances under which the contraband came to be found in their possession. However, in the present case, the appellants have not produced any material evidence to rebut the said presumption. Their defence is confined merely to a denial of the prosecution allegations, which by itself is insufficient to dislodge the presumption of conscious possession arising under the statute.

78. It is also noteworthy that the appellants have not set up any plausible alternative version of events nor have they suggested any circumstance which would probabilise the theory of false implication. In the absence of any such explanation, and having regard to the consistent testimony of the prosecution witnesses coupled with the documentary evidence on record, this Court finds no reason to disbelieve the prosecution case. Consequently, the contention of the appellants that the alleged irregularities in investigation have vitiated the prosecution case is liable to be rejected.

47) उक्त न्यायदृष्टांत के आलोक में यह स्पष्ट है कि अभियुक्त द्वारा धारा 35 एवं धारा 54 एन०डी०पी०एस० एक्ट की उपधारणा का खंडन करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियुक्त की इस संबंध में कोई प्रतिरक्षा नहीं है कि प्रार्थी/विवेचक की उससे कोई पूर्व रंजिश थी, जिसके कारण प्रार्थी/विवेचक द्वारा उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया हो। अभियुक्त की इस संबंध में भी कोई प्रतिरक्षा नहीं है कि उसे किसी अन्य स्थान से पुलिस द्वारा पकड़कर प्रकरण में संलिप्त किया गया है। प्रकरण की विवेचना के दौरान की गयी मामूली त्रुटियाँ इस प्रकार की नहीं है कि अभियोजन के संपूर्ण मामले को संदेहास्पद बना दे। बचाव पक्ष द्वारा ली गयी प्रतिरक्षायें भी

इस प्रकार की नहीं है, जिससे अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर अविश्वास किया जा सके। अतः अभियुक्त धारा 35 एवं धारा 54 एन०डी०पी०एस० एक्ट की उपधारणाओं का खंडन करने में असफल रहा है।

48) अतः उपरोक्त विवेचना का सार यह है कि प्रकरण में प्रार्थी/विवेचक द्वारा एन०डी०पी०एस० एक्ट के सभी आज्ञापक एवं निर्देशात्मक प्रावधानों का पालन किया जाना दर्शित होता है। प्रार्थी/विवेचक एवं हमराह स्टाफ/कायमीकर्ता साक्षी के साक्ष्य एवं उनके द्वारा की गयी कार्यवाही पर अविश्वास किये जाने का कोई ठोस कारण दर्शित नहीं होता है। अभियुक्त द्वारा उसके आधिपत्य से बरामद मादक पदार्थ गांजा के संबंध में कोई वैध अनुज्ञप्ति या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अभियुक्त द्वारा अपने आधिपत्य में मादक पदार्थ गांजा कुल 7.500 कि०ग्रा० को एन०डी०पी०एस० एक्ट के उपबंध एवं उसके अधीन बनाये गये नियम एवं आदेश के उल्लंघन में बिना अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से अपने आधिपत्य में रखकर परिवहन किया जाना प्रमाणित पाया जाता है। फलतः **विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 का निष्कर्ष ''प्रमाणित''** में दिया जाता है।

49) फलतः अभियोजन द्वारा युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 28/06/2024 को समय 21:30 बजे, थाना गीदम क्षेत्र के अंतर्गत स्थान बारसूर चौक मंडी के पास मेनरोड गीदम में वाहन मोटरसायकल क्र० ओ०डी०–30/बी०–2997 में कुल 7.500 कि०ग्रा० मादक पदार्थ गांजा को बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के अपने आधिपत्य में रखकर केन्द्र शासन की अधिसूचना का उल्लंघन किया है।

50) तद्नुसार **अभियुक्त प्रकाश विश्वास** को **एन०डी०पी०एस० एक्ट की धारा** 20 (b) (ii)(B) के अपराध के आरोप में सिद्धदोष पाते हुये **दोषसिद्ध** किया जाता है।

51) दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय कुछ देर के लिये स्थगित किया जाता है।

सही/–
(धीरेन्द्र प्रताप सिंह दाँगी)
विशेष न्यायाधीश(एन०डी०पी०एस० एक्ट)
दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा(छ०ग०)

52) दण्ड के प्रश्न पर अभियोजन एवं अभियुक्त और उसके अधिवक्ता को सुना गया। अभियोजन द्वारा अभियुक्त को अधिकतम दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया। अभियुक्त के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है। अतः अभियुक्त को न्यूनतम कारावास अथवा अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया।

53) उभयपक्ष के निवेदन पर विचार किया गया। अभियुक्त द्वारा अपने आधिपत्य में 07 किलो 500 ग्राम मादक पदार्थ गांजा को एन०डी०पी०एस० एक्ट के अंतर्गत बनाये गये नियम, आदेश एवं अनुज्ञप्ति के उल्लंघन में रखा गया है। इस प्रकार प्रमाणित अपराध संपूर्ण समाज के स्वास्थ्य एवं नैतिकता को हानि पहुंचाने वाला है तथा संपूर्ण युवा पीढ़ी को दिग्भ्रमित कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रभावित करने वाला है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एन०डी०पी०एस० एक्ट के मामलों में दण्ड अधिरोपित करते समय ध्यान में रखी जाने वाली बातों का उल्लेख करते हुये *Gurdev Singh v. State of Punjab,* (2021) 6 SCC 558 के मामले में अभिनिर्धारित किया है कि–

> **16.** While considering the submission on behalf of the accused on mitigating and aggravating circumstances and the request to take lenient

view and not to impose the punishment higher than the minimum sentence provided under the Act it should be borne in mind that in a murder case, the accused commits murder of one or two persons, while those persons who are dealing in narcotic drugs are instruments in causing death or in inflicting death blow to a number of innocent young victims who are vulnerable; it causes deleterious effects and deadly impact on the society; they are a hazard to the society. Organised activities of the underworld and the clandestine smuggling of narcotic drugs and psychotropic substances into this country and illegal trafficking in such drugs and substances shall lay to drug addiction among a sizeable section of the public, particularly the adolescents and students of both sexes and the menace has assumed serious and alarming proportions in the recent years. Therefore, it has a deadly impact on the society as a whole. Therefore, while awarding the sentence/punishment in case of the NDPS Act, the interest of the society as a whole is also required to be taken into consideration. Therefore, while striking a balance between the mitigating and aggravating circumstances, public interest, impact on the society as a whole will always tilt in favour of the suitable higher punishment. Therefore, merely because the accused is a poor man and/or a carrier and/or is a sole bread earner cannot be such mitigating circumstances in favour of the accused while awarding the sentence/punishment in the case of the NDPS Act. Even otherwise, in the present case, the Special Court, as observed hereinabove has taken into consideration the submission on behalf of the accused that he is a poor person; that he is sole bread earner, that it is his first offence, while not imposing the maximum punishment of 20 years' RI and imposing the

CGDA010005672024

विशेष (एन०डी०पी०एस० एक्ट) प्र०क्र०–18/2024
छ०ग० राज्य विरूद्ध प्रकाश विश्वास

punishment of 15 years' RI only.

54) अतः उक्त न्यायदृष्टांत के आलोक में अपराध की प्रकृति एवं गंभीरता को देखते हुये अभियुक्त को आरोपित अपराध के प्रावधान में वर्णित दण्ड के अनुसार समुचित कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने से न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति होना संभव है। फलतः अभियुक्त **प्रकाश विश्वास** को निम्न तालिका अनुसार दण्डित किया जाता है :–

अभियुक्त का नाम	**धारा**	**कारावास**	**अर्थदण्ड**	**व्यतिक्रम में कारावास**
प्रकाश विश्वास	धारा 20 (b)(ii)(B) स्वापक औषधि तथा मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985	02 वर्ष 06 माह (दो वर्ष छः माह) का कठोर कारावास	10,000/– (दस हजार) रूपये का अर्थदण्ड	03 (तीन) माह का कठोर कारावास

अभियुक्त को अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में दी गयी कारावास की सजा पृथक से भुगतायी जावे। अभियुक्त द्वारा अभिरक्षा में बितायी गयी अभिरक्षा की अवधि समायोजित की जावे। समायोजन हेतु सजा वारंट के साथ अभिरक्षा अवधि प्रमाण पत्र प्रेषित किया जाता है।

55) प्रकरण में जप्तशुदा मादक पदार्थ गांजा में से परीक्षण हेतु निकाले गये सैम्पल को छोड़कर शेष मादक पदार्थ गांजा को एन०डी०पी०एस० एक्ट की धारा 52–क के अंतर्गत गठित ड्रग डिस्पोजल कमेटी को नियमानुसार नष्टीकरण हेतु प्रेषित किया जावे तथा सैम्पल को अपील अवधि तक सुरक्षित रखा जावे। जप्तशुदा काले रंग का हीरो डिलक्स मोटरसायकल क्र० ओ०डी०–30/बी०–2997, नगद राशि 540/– रूपये को धारा 63 एन०डी०पी०एस० एक्ट के अंतर्गत अधिहरण कार्यवाही किये जाने हेतु पृथक से कार्यवाही की जावे। जप्तशुदा 01 नग सफेद रंग की बोरी मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में नष्ट किया जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश/निर्देश का पालन किया जावे।

56) निर्णय की प्रति निःशुल्क अभियुक्त को प्रदान कर पावती ली जावे। अभियुक्त प्रकाश विश्वास पूर्व से न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है। अतः अभियुक्त का जेल वारंट प्रकरण में संलग्न कर सजा वारंट तैयार कर जिला जेल दंतेवाड़ा भेजा जावे। अभियुक्त द्वारा इस निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की स्थिति में विधिक सहायता हेतु जेल अधीक्षक जिला जेल दंतेवाड़ा को निर्णय की प्रति प्रेषित की जावे।

57) **धारा 406 भा०ना०सु०सं०** के अंतर्गत निर्णय की प्रति जिला मजिस्ट्रेट दंतेवाड़ा को प्रेषित की जावे।

58) अभिरक्षा की अवधि हेतु पृथक से **धारा 468 भा०ना०सु०सं०** के अंतर्गत प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

स्थानः–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा(छ०ग०)
दिनांकः–11/08/2026

मेरे कहे अनुसार टंकित एवं खुले
न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर
घोषित किया गया।

DHEERENDRA PRATAP SINGH DANGI
Digitally signed by DHEERENDRA PRATAP SINGH DANGI

सही/–
(धीरेन्द्र प्रताप सिंह दाँगी)
विशेष न्यायाधीश(एन०डी०पी०एस० एक्ट)
दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा(छ०ग०)

CGDA010005672024

विशेष (एन०डी०पी०एस० एक्ट) प्र०क्र०–18/2024
छ०ग० राज्य विरूद्ध प्रकाश विश्वास

न्यायालयः– विशेष न्यायाधीश (एन०डी०पी०एस० एक्ट) दंतेवाड़ा (छ.ग.)
(पीठासीन अधिकारीः–धीरेन्द्र प्रताप सिंह दाँगी)

विशेष (एन०डी०पी०एस० एक्ट)प्र०क्र०–18/2024
छ०ग० राज्य विरूद्ध प्रकाश विश्वास

अभिरक्षा की अवधि के संबंध में प्रमाण पत्र अंतर्गत धारा 468 भा०ना०सु०सं०

01. अभियुक्त का नाम	–	प्रकाश विश्वास
02. पिता का नाम	–	काशीनाथ विश्वास
03. आयु	–	उम्र–45 वर्ष
04. निवासी	–	ग्राम नेलसनार, थाना–बांगापाल, जिला–बीजापुर, मूल निवासी–एम०व्ही०–9 मलकानगिरी, जिला–मलकानगिरी (उड़ीसा)
05. गिरफ्तारी का दिनांक व समय	–	दिनांक 28/06/2024 20:05 बजे,
06. पुलिस अभिरक्षा की अवधि	–	निरंक
07. न्यायिक अभिरक्षा की अवधि	–	दिनांक 29/06/2024 से दिनांक 11/08/2026 तक
08. अभिरक्षा की कुल अवधि	**–**	**773 दिवस**

स्थानः–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा(छ०ग०)
दिनांकः–11/08/2026

सही/–
(धीरेन्द्र प्रताप सिंह दाँगी)
विशेष न्यायाधीश(एन०डी०पी०एस० एक्ट)
दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा(छ०ग०)